(वाद संख्या–3583/16)

20.08.2019

परिवादीगण, ओम प्रकाश कुमार भारती व अन्य की ओर से ओम प्रकाश कुमार भारती, रामाकांत रंजन किशोर वगैरह उपस्थित हैं।

प्रस्तुत मामला दिनांक–10.05.2016 को पंचायत चुनाव, 2016 के दौरान मध्य विद्यालय, कोरियामागढ़ (बुथ सं0–155) पर तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा अनावश्यक रूप से मतदान करने वाले मतदाताओं पर लाठी चार्ज एवं गोली फायर कर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी की ओर से समर्पित प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रसंगाधीन घटना का एक आपराधिक मामला, उक्त मतदान केन्द्र के तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी, श्री राम रतन ठाकुर, के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर ओम प्रकाश भारती सहित 33 नामांकित व 700–800 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 147, 148, 149, 323, 325, 326, 307, 353, 337, 338, 153, 188, 427, शस्त्र अधिनियम की धारा–27 तथा People Representative Act की धारा 143 (बी) के अन्तर्गत मसौढ़ी थाना कांड सं0–194/2016, दिनांक–10.05.2016 के रूप में संस्थित किया गया। अबतक के अनुसंधान व पर्यवेक्षण में 33 प्राथमिकी अभियुक्तों व अप्राथमिकी 04 अभियुक्तों, (1) सूर्यदेव मोची (2) राजेश्वर राम (3) अशोक राम व (4) वृजनन्दन रविदास, व 700–800 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध प्रसंगाधीन कांड में उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार मामला अभीतक अन्वेषणोन्तर्गत है।

परिवादीगण का कथन है कि घटना के समय उक्त मतदान केन्द्र पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था तथा उक्त मतदान केन्द्र के परिसर में मतदान समाप्ति के समय से पूर्व मतदान हेतु लाईन में खड़े करीब 100 मतदाताओं को मतदान करना था। उस समय उक्त मतदान केन्द्र पर जोनल एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट अपने

सशस्त्र बल के साथ उपस्थित थे। तभी अचानक संध्या 6:00 बजे तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, सशस्त्र बल के साथ उक्त मतदान केन्द्र पर आये तथा उन्होंने मतदान हेतु प्रतीक्षा कर रहे परिसर में उपस्थित मतदाताओं को बोगस वोटर कहकर पुलिस को उन्हें मारकर भगा देने का आदेश दिया, जिसमें कई मतदाता, जिनमें महिलाएँ भी थीं, घायल हो गयी। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो पुलिस कर्मियों द्वारा 10 राउंड हवाई फायरिंग भी किया गया तथा तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी बिना मत पेटी को सील किये, मत पेटी को उठाकर चले गये। परिवादी का कथन है कि उक्त घटना के तत्काल बाद उसकी ओर से फैक्स द्वारा घटना की सूचना पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के साथ आयोग को दी गयी।

कार्यालय, परिवादी की ओर से आयोग को समर्पित आवेदन (पृ0–19–12/प0) संलग्न कर, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में या तो अपने स्तर से या उनके द्वारा प्राधिकृत मुख्यालय के किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी क स्तर से जांच कराकर दिनांक–12.12.2019 के पूर्व, जांच–प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करने हेतु पत्र निर्गत करें साथ ही साथ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रसंगाधीन मसौढ़ी थाना कांड सं0–194/16, दिनांक–10.05.2016 के अन्वेषण की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की भी मांग करें।

आज परिवादीगण की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–18.12.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक